

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 28.08.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

04 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना को0 देहात पुलिस ने 01, थाना वजीरगंज पुलिस ने 02, थाना परसपुर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.08.2022

जनपदीय पुलिस ने की अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, 29
अभियुक्त गिरफ्तार, 355 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 नगर पुलिस ने थाना क्षेत्र में दबिश देकर अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण कर रहे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 शराब, थाना को0 देहात पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब, 01 किलो यूरिया, 500 ग्राम नौसादार, थाना मनकापुर पुलिस ने 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 70 ली0 शराब, थाना धानेपुर पुलिस ने 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 40 ली0 शराब, थाना छपिया पुलिस ने 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 50 ली0 शराब, थाना खोड़ारे पुलिस ने 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 50 ली0 शराब, थाना मोतीगंज पुलिस ने 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15 ली0 शराब, थाना तरबगंज पुलिस ने 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 ली0 शराब, थाना करनैलगंज पुलिस ने 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 30 ली0 शराब, थाना कटराबाजार पुलिस ने 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 50 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध संबंधित थानों द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.08.2022

गोवध निवारण अधिनियम के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम के 02 वांछित अभियुक्तों - 01. रमजान, 02. यूनुस को गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 21.06.2022 को थाना खरगूपुर पुलिस को 03 अदद धारदार हथियार, एक अदद लकड़ी का ठीहा, 2 अदद धारदार चाकू व गौमांस बरामद हुआ था बरामदगी के आधार पर थाना खरगूपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें उक्त अभियुक्तगण वांछित चल रहे थे। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रमजान पुत्र ईदु नि0 ग्राम लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोंडा।
02. यूनुस पुत्र चिल्लू उर्फ इरशाद अली नि0 ग्राम लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-129/22, धारा 147,148,149,323,353,504,506 भादवि, 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

- उ0नि0 अखिलेश यादव मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.08.2022

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त मेवालाल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 166 टेबलेट अल्प्राजोलम बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मेवालाल पुत्र रामचरन नि0 बूटीपुरवा लक्ष्मणपुर लालनगर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-324/22, धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 166 टेबलेट अल्प्राजोलम।

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 अभिषेक वर्मा मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 28.08.2022

थाना मनकापुर पुलिस द्वारा भारी मात्रा में किया गया विस्फोटक पदार्थ (गोला, बारूद) बरामद, 03 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री बिक्री/परिवहन में संलिप्त अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री का भण्डारन करने के आरोप में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 05 प्लास्टिक बोरा में सुतली गोला, 01 बोरी में 40 किलो पीला पाउडर गंधक, 05 किलो सोर्रा पाउडर, 25 किलो बारूद व 03 बंडल सुनई बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना कोतवाली मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

01. रिजवान पुत्र इस्तफा नि0 ग्राम भिटौरा गांव थाना को0 मनकापुर जनपद गोंडा।
02. किस्मत अली पुत्र अकबर अली निवासी छोटकी करौंदी थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोंडा।
03. सलमान पुत्र समीर निवासी छोटकी करौंदी थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0-349/22, धारा 5/6 विस्फोटक अधि0 थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी:-

01. 05 प्लास्टिक बोरा सुतली गोला।
02. 01 बोरी में 40 किलो पीला पाउडर गंधक।
03. 05 किलो सोर्रा पाउडर।
04. 25 किलो बारूद।
05. 03 बंडल सुनई।

गिरफ्तार कर्ता टीम:-

उ0नि0 बीरबल मय टीम